सं0सं0 3/विविध–01–28/2012 – 593(3)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक : 06/11/12

विषय: राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के पदाधिकारियों कुल–9 (नौ) को परिवहन भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश: वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3ए–2–वे0पु0(परि0 भत्ता) 22/2009–12414 के आलोक में परिवहन भत्ता स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 12414 दिनांक 31.12.2009 द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में पदस्थापित राज्य के सरकारी स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के कुल–9(नौ) पदाधिकारियों को शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(1) डा0 गणेश प्रसाद,
प्राचार्य, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी, बिहार, पटना ।
(2) डा0 रामायण राम,
राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी, बिहार, पटना ।
(3) डा0 आबिद हुसैन,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
(4) डा0 प्रभा सिन्हा,
अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
(5) डा0 अरविन्द कुमार,
अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना- 7
(6) डा0 मधुरेन्द्र किशोर,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
(7) डा0 अरविन्द कुमार शर्मा,
उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
(8) डा0 कृष्ण कुमार सिंह,
अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
(9) डा0 नागेन्द्र प्रसाद सिंह,
उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

क्रमांक–01–09 तक के चिकित्सा पदाधिकारियों को जो पटना में पदस्थापित है उनके वेतन के आलोक में परिवहन भत्ता तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता को समेकित करते हुए भत्ता 1000/– रू0 प्रतिमाह शहरी परिवहन भत्ता भुगतानक रने की सवीकृति दी जाती है ।

इसमें प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5953(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 06/11/12

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गुलजारबाग, पटनासिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित राज्य स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी–5 एवं लेखा शाखा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना/अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना, पंत भवन को सूचनार्थ प्रेषित ।

06/11/12

सरकार के संयुक्त सचिव

O:\Sec-3\S.K\Letter-2012\Letter 1.10 2012.doc